संख्या-252/2025/1789/चार-2025-1904799

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2025**

विषय:- दिनांक 17 मार्च, 2025 को समौर बाबा धाम सिरसागंज, फिरोजाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 544/सं0नि0-15(128)/2025-26 752106, दिनांक 03 जून, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बिन्दु संख्या-1 की अभ्युक्ति में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्यक्रम से संबंधित धनराशि की स्वीकृति 42- अन्य व्यय मद से प्रदान की गई थी, किन्तु सुसंगत मद में धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। बिन्दु संख्या-1 में यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्यक्रम पर रू0 3.35 लाख का वास्तविक व्यय हुआ है। अत: प्रश्नगत कार्यक्रम में हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 5706/सं0नि0-15(128)/2024-25 दिनांक 07.03.2025 द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2025 को समौर बाबा धाम सिरसागंज, फिरोजाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम में निम्नानुसार कलाकारों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित किया गया था:-

दिनांक	विधा/ कार्यक्रम	कलाकार का नाम	मानदेय (एकमुश्त)
17.03.2025	शिव भक्ति गायन	सुश्री अंजलि पाठक, महारागंज, मुम्बई	65,000.00
	शास्त्रीय / लोक नृत्य शिव जी पर आधारित नृत्य नाटिका	पं0 जय किशन महाराज, ग्रेटर नोएडा	1,50,000.00
	मयूर नृत्य फूलों की होली	सुश्री वंदना, मथुरा	2,00,000.00
	योग		4,15,000.00

3. संस्कृति निदेशालय के प्रस्तावानुसार गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या- 129 /2025/ 924/चार-2025-1904799 दिनांक 26 मार्च, 2025 द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2025 को समौर बाबा धाम सिरसागंज, फिरोजाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु **रू0 4,15,000.00 (रूपये चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 17 मार्च, 2025 को समौर बाबा धाम सिरसागंज, फिरोजाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 129 /2025/ 924/चार-2025-1904799 दिनांक 26 मार्च, 2025 को निरस्त किया जाता है** तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 17 मार्च, 2025 को समौर बाबा धाम सिरसागंज, फिरोजाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 3.35 लाख (रूपये तीन लाख पैंतीस हजार मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in